


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 54]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

सं. 1/1/2013-ई.III(ए).-भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है:-

1. अध्यक्ष - न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर
 2. सदस्य - श्री विवेक राय
 3. सदस्य - डॉ. रथिन राँय
 4. सचिव - श्रीमती मीना अग्रवाल
2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:
- (क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना जिनसे परिलब्धियों की संरचना, वेतन, भत्ते एवं नकद अथवा वस्तु रूप में अन्य सुविधाएं/लाभ शासित होने चाहिए; और ऐसा करते हुए इन सिफारिशों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो:-

